



The Uttar Pradesh Protection of Interest of Depositors in Financial
Establishments ACT, 2016

Act 16 of 2016

Keyword(s):
Designated Court, Deposit, Competent Authority

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 8 जून, 2016

ज्येष्ठ 18, 1938 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 857/79-वि-1-16-1(क)-7-2016

लखनऊ, 8 जून, 2016

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक, 2016 पर दिनांक 21 मई, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2016 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम, 2016

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2016)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम, 2016 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा, जैसा कि राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार एवं
प्रारम्भ

परिभाषायें

2-जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,-

(क) "सक्षम प्राधिकारी" का तात्पर्य धारा 5 के अधीन नियुक्त सक्षम प्राधिकारी से है;

(ख) "अभिहित न्यायालय" का तात्पर्य धारा 7 के अधीन गठित किसी अभिहित न्यायालय से है ;

(ग) "जमा" में किसी विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् अथवा अन्यथा नकद या वस्तु के रूप में या विनिर्दिष्ट सेवा के रूप में ब्याज, बोनस, लाभ या किसी अन्य रूप में किसी प्रसुविधा के साथ या प्रसुविधा रहित वापसी के विचार से किसी वित्तीय अधिष्ठान द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व, पर या पश्चात् धन की प्राप्ति या किसी मूल्यवान वस्तु का प्रतिग्रहण, सम्मिलित है, किन्तु इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है :-

(एक) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों और बनाये गये विनियमों के अधीन आच्छादित शेयर पूँजी या डिबेन्चर, बंधपत्र या किसी अन्य लिखतों के रूप में उगाही की गयी धनराशि;

(दो) किसी फर्म के भागीदारों द्वारा पूँजी के रूप में अभिदानित कोई धनराशि;

(तीन) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खण्ड (ग) में यथा परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक या किसी अन्य बैंककारी कम्पनी से प्राप्त कोई धनराशि;

(चार) निम्नलिखित से प्राप्त कोई धनराशि,-

(1) किसी राज्य वित्तीय निगम;

(2) किसी अन्य संस्था, जो राज्य सरकार द्वारा इसके निमित्त जारी अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट हो;

(पांच) व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में प्रतिभूति जमा, व्यवहारी जमा अथवा माल या सेवाओं के आदेश के सापेक्ष अधिदाय या अग्रिम के रूप में प्राप्त कोई धनराशि;

(छः) राज्य में तत्समय प्रवृत्त साहूकारी से संबंधित किसी अधिनियमिति के अधीन पंजीकृत किसी व्यक्ति या किसी फर्म या किसी व्यक्ति-संगम, जो निगमित निकाय न हो, से प्राप्त कोई धनराशि; और

(सात) किसी चिट के सम्बन्ध में अभिदान स्वरूप प्राप्त कोई धनराशि;

स्पष्टीकरण-एक-"चिट" का तात्पर्य वही होगा, जैसा कि चिट फण्ड अधिनियम, 1982 (अधिनियम संख्या 40, 1982) की धारा 2 के खण्ड (ख) में इसके लिए समानुदेशित हो।

स्पष्टीकरण-दो-किसी विक्रेता द्वारा किसी सम्पत्ति (चल या अचल) के विक्रय पर क्रेता को दिये गये किसी उधार को इस खण्ड के प्रयोजनार्थ कोई जमा नहीं समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण-तीन-उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर भूखण्ड या प्लैट या मकान के विक्रय या ऐसे किसी विन्यास के लिए, निर्माणकर्ताओं/ भू-सम्पदा कम्पनियों या किसी व्यक्ति द्वारा संकलित कोई धनराशि इस खण्ड के प्रयोजनार्थ जमा धनराशि समझी जायेगी।

(आठ) कम्पनी अधिनियम, 2013 के अध्याय तीन एवं चार के उपबन्धों के अनुपालन में शेयर पूँजी या डिबेन्चर/बंधपत्र के माध्यम से गैर सूचीबद्ध कम्पनियों द्वारा एकत्रित की गयी धनराशि ;

(नौ) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 73, 74, 75 और 76 के उपबन्धों के अनुपालन में कम्पनियों द्वारा एकत्रित की गयी जमा धनराशि ;

(घ) "वित्तीय अधिष्ठान" का तात्पर्य किसी योजना या व्यवस्था या किसी अन्य रूप में जमा स्वीकार करने वाले व्यक्ति से है और जिसमें निगमित अथवा अनिगमित कम्पनी या संगम या व्यष्टि-निकाय सम्मिलित होगा किन्तु इसमें राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त या नियंत्रित कोई निगम या सहकारी समिति अथवा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खण्ड (ग) के अधीन यथा परिभाषित बैंककारी कम्पनी सम्मिलित नहीं है।

3-यदि कोई वित्तीय अधिष्ठान परिपक्वता पर जमा का प्रतिसंदाय, ब्याज, बोनस लाभ के रूप में या यथा प्रतिज्ञात किसी अन्य रूप में प्रसुविधा सहित देने में व्यतिक्रम करता है, अथवा जमा के विरुद्ध यथा निर्धारित सेवा प्रदान करने में विफल रहता है, तो ऐसे वित्तीय अधिष्ठान के व्यवसाय या कार्यकलापों के प्रबंधन या संचालन के लिए उत्तरदायी संप्रवर्तक, भागीदार, निदेशक, प्रबंधक या कोई अन्य व्यक्ति या कर्मचारी सहित प्रत्येक व्यक्ति को दोषसिद्ध होने पर दस वर्ष तक के लिए कारावास या दस लाख रुपये तक जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

वित्तीय अधिष्ठान
द्वारा कपटपूर्ण
व्यतिक्रम

स्पष्टीकरण:-इस धारा के प्रयोजनार्थ यदि कोई वित्तीय अधिष्ठान, ब्याज के रूप में प्रसुविधा के साथ किसी जमा और बोनस, लाभ या किसी अन्य रूप में दिये गये वचन के अनुरूप प्रतिसंदाय करने में व्यतिक्रम करता है अथवा ऐसे जमा के सापेक्ष वचनबद्ध कोई विनिर्दिष्ट सेवा उपलब्ध कराने में विफल रहता है या किसी एक व्यक्ति को संदोष लाभ पहुंचाने एवं अन्य व्यक्ति को संदोष हानि पहुँचाने के आशय से ऐसी जमा के सापेक्ष सहमत कोई विनिर्दिष्ट सेवा उपलब्ध कराने में विफल रहता है या जमा के प्रतिग्रहण के समय किये गये अव्यावहारिक या वाणिज्यिक रूप में अव्यावहारिक वचनों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अक्षमता के कारण या जमा से अर्जित धनराशि या आस्तियों के इस रीति से अभिनियोजन से, जब उसकी आवश्यकता हो एवं उसकी वसूली में अन्तर्निहित जोखिम अन्तर्ग्रस्त हो, उत्पन्न होने वाली अपनी अक्षमता के कारण ऐसा व्यतिक्रम करता हो तो उसे कपटपूर्ण व्यतिक्रम या विनिर्दिष्ट सेवा देने में कपटपूर्ण तरीके से विफल समझा जाएगा।

जमा की वापसी में
व्यतिक्रम होने पर
सम्पत्ति की कुर्की

4-(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी-

(क) जहां जमाकर्ताओं से या अन्यथा प्राप्त शिकायत पर सरकार का यह समाधान हो जाये कि कोई वित्तीय अधिष्ठान निम्नलिखित को करने में विफल हो गया है :-

(एक) परिपक्वता के बाद या जमाकर्ताओं द्वारा मांग किये जाने पर जमा वापस करने; या

(दो) ब्याज या अन्य आश्वासित लाभ का भुगतान करने; या

(तीन) ऐसी जमा के सापेक्ष वचनबद्ध सेवा उपलब्ध कराने; या

(ख) जहां सरकार को यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई वित्तीय अधिष्ठान जमाकर्ताओं को धोखा देने के आशय से प्रकल्पित रीति से उनके हित के विरुद्ध हानिकर कार्य कर रहा है और यदि सरकार का यह समाधान हो जाए कि ऐसे वित्तीय अधिष्ठान द्वारा जमा के वापसी या ब्याज का भुगतान या अन्य आश्वासित प्रसुविधाओं का भुगतान अथवा जिनके लिए जमा प्राप्त किया गया हो, उन सेवाओं को उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है तो राज्य सरकार कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करने के बाद ऐसे धन या अन्य सम्पत्ति, जिसके सम्बन्ध में विश्वास हो कि उस वित्तीय अधिष्ठान द्वारा या तो अपने नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम वित्तीय अधिष्ठानों द्वारा संगृहीत जमा से अर्जित किया है, को कुर्क करते हुए राजपत्र में प्रकाशित करते हुए एक आदेश जारी कर सकती है।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन आदेश के प्रकाशित होने पर वित्तीय अधिष्ठान की समस्त सम्पत्तियों एवं आस्तियाँ तत्काल राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी में निहित हो जायेंगी। ये तब तक निहित रहेंगी जब तक कि अभिहित न्यायालय अन्यथा आदेश न दे दें।

(3) सम्बन्धित जिले का कलेक्टर उपधारा (1) के अधीन शिकायतें प्राप्त करने के लिए सक्षम होगा और वह यथा सम्भव शीघ्र अपनी रिपोर्ट सहित उक्त शिकायत को राज्य सरकार को प्रेषित कर देगा और वह सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक को भी जाँच हेतु एक प्रतिलिपि प्रेषित करेगा।

सक्षम प्राधिकारी की
नियुक्ति

5-(1) राज्य सरकार धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन आदेश निर्गत करते समय अपने किसी अधिकारी, जो परगना अधिकारी की श्रेणी से अन्यून हो, को धारा 4 के अधीन कुर्क की गयी धनराशि एवं सम्पत्तियों पर नियंत्रण रखने हेतु सक्षम प्राधिकारी नियुक्त कर सकती है।

(2) सक्षम प्राधिकारी के पास ऐसी शक्तियाँ होंगी जैसी इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों।

(3) सक्षम प्राधिकारी उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेश के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिनों के भीतर उन आदेशों का उल्लेख करते हुए जिन पर सरकार ने धारा 4 में निर्दिष्ट आदेश निर्गत किया है और धनराशि या अन्य सम्पत्ति जिसके सम्बन्ध में विश्वास किया गया है कि जमा से अर्जित की गयी है और उन व्यक्तियों का विवरण, यदि कोई हो, जिनके नाम पर उस सम्पत्ति का विनिधान किये जाने या अर्जित किये जाने का विश्वास हो अथवा धारा 4 के अधीन कुर्क की गयी किसी अन्य सम्पत्ति का विवरण अथवा ऐसे अग्रतर आदेश जो आवश्यक समझे जायें के लिए एक या अधिक शपथ पत्रों के साथ अभिहित न्यायालय में आवेदन करेगा।

6- (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर या उसके पश्चात् उत्तर प्रदेश राज्य में प्रत्येक वित्तीय अधिष्ठान जो इस रूप में अपना कारबार करता है, महानिदेशक, संस्थागत वित्त को प्रतिवेदन देगा और यथाविहित विशिष्टियों के साथ उसकी एक प्रति जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक को प्रेषित करेगा जिसमें ऐसा कारबार करने वाले अपने प्राधिकारी, राज्य में वित्तीय अधिष्ठान के स्थान और अपने मुख्य शाखा कार्यालय के स्थान, यदि कोई हो, और राज्य में वित्तीय अधिष्ठान के कारबार या कार्यकलापों के प्रबंधन या संचालन हेतु उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति के स्थायी पता एवं साथ में यथाविहित विशिष्टियों का विस्तृत उल्लेख होगा।

वित्तीय अधिष्ठान द्वारा प्रतिवेदन एवं विवरणी

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रतिवेदन नये वित्तीय अधिष्ठानों द्वारा राज्य में अपने कारबार के प्रारम्भ होने के दिनांक से सात दिनों के भीतर किया जायेगा और ऐसे वित्तीय अधिष्ठान जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व इस रूप में अपना कारबार करते रहे हैं, ऐसा प्रतिवेदन इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से सात दिनों के भीतर करेंगे।

(3) प्रत्येक वित्तीय अधिष्ठान किसी वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के एक माह के भीतर अपने कारबार एवं वित्तीय स्थिति, राज्य के भीतर या बाहर, उसके द्वारा किये गये अपने विनिधानों के क्षेत्र और धनराशियों के विनिधानों के स्थान, यदि कोई हो, के संबंध में त्रैमासिक विवरणी और ऐसी अन्य विशिष्टियाँ, जैसी विहित की जाय, महानिदेशक, संस्थागत वित्त को उपलब्ध करायेगा।

(4) जो कोई भी व्यक्ति उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विफल रहता है या उप धारा (3) के अधीन विवरणी उपलब्ध कराने में विफल रहता है, वह जुर्माने से दण्डनीय होगा जो पचास हजार रुपये तक हो सकता है।

(5) महानिदेशक, संस्थागत वित्त, कारबार एवं वित्तीय स्थिति, विनिधान के विवरण और वित्तीय अधिष्ठान की अन्य विशिष्टियों के बारे में पूछताछ करने के लिए उत्तरदायी होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वित्तीय अधिष्ठान का अप्रतिवेदित या छिपे हुए क्रियाकलापों, जो प्रकाश में आये हों, के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जाय।

7-(1) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए या ऐसे मामले या मामलों के वर्ग या समूह के लिए, जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश के संवर्ग में एक या एक से अधिक अभिहित न्यायालय का गठन कर सकती है।

अभिहित न्यायालय

(2) अभिहित न्यायालय से भिन्न अन्य किसी न्यायालय, जिसमें प्रान्तीय दिवाला अधिनियम, 1920 के अधीन गठित न्यायालय सम्मिलित है, को ऐसे किसी मामले के संबंध में अधिकारिता नहीं होगी जिसमें इस अधिनियम के उपबन्ध लागू होने हैं।

(3) किसी अन्य न्यायालय में लम्बित कोई मामला जिस पर इस अधिनियम के उपबन्ध लागू हों, इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से अभिहित न्यायालय में अन्तरित हो जायेगा।

8- (1) धारा 5 के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होने पर, अभिहित न्यायालय, वित्तीय अधिष्ठान या किसी अन्य व्यक्ति को जिसकी सम्पत्ति धारा 4 के अधीन सरकार द्वारा कुर्क की गई हो और सक्षम प्राधिकारी में निहित की गई हो, आवेदन और शपथ-पत्र और साक्ष्य, यदि कोई अभिलिखित हो, के साथ उक्त अधिष्ठान और उक्त व्यक्ति को नोटिस में विनिर्दिष्ट दिनांक को या उसके पूर्व कारण बताने हेतु बुलाने के लिए एक नोटिस जारी करेगा कि कुर्क के आदेश को क्यों न आत्यंतिक कर दिया जाय।

अभिहित न्यायालय की कुर्क से संबंधित शक्तियाँ

(2) अभिहित न्यायालय, ऐसे सभी अन्य व्यक्तियों, जो वित्तीय अधिष्ठान की संपत्ति में कोई हित या हकदारी रखते हों या संभावित दावेदार के रूप से प्रतिनिधित्व करते हों, या ऐसा व्यक्ति जिसे उपधारा (1) के अधीन नोटिस जारी की गई हो, को भी ऐसी नोटिस जारी करेगा जिसमें कि ऐसी नोटिस में यथा विनिर्दिष्ट दिनांक को उपस्थित होने और ऐसी संपत्ति या उसके किसी भाग की कुर्की के संबंध में इस आधार पर कि ऐसी संपत्ति या उसके भाग में उनका हित है, आपत्ति करने के लिये यदि वे चाहें, कहा जाएगा।

(3) कुर्क की गयी संपत्ति या उसके किसी भाग में हित का दावा करने वाला कोई व्यक्ति इस बात के होते हुए भी कि इस धारा के अधीन कोई सूचना उसे तामील नहीं की गयी है, अभिहित न्यायालय में, उपधारा (4) या उपधारा (6) के अधीन कोई आदेश पारित किये जाने के पूर्व, विनिर्दिष्ट दिनांक को या उसके पूर्व किसी भी समय अभिहित न्यायालय को यथा उपर्युक्त रूप में आपत्ति कर सकता है।

(4) यदि उपधारा (3) के अधीन कोई कारण नहीं दर्शाया गया और कोई आपत्ति नहीं की गयी तो अभिहित न्यायालय कुर्की के आदेश को आत्यन्तिक करते हुए तत्काल एक आदेश पारित करेगा और कुर्क की गयी आस्तियों की वसूली तथा कुर्क की गयी संपत्ति से वसूले गये धन को जमाकर्ताओं के बीच साम्यपूर्ण वितरण हेतु, यथा आवश्यक, निर्देश जारी करेगा।

(5) यदि, पूर्वोक्त, रूप से कारण दर्शाया गया है या कोई आपत्ति की गयी हो तो अभिहित न्यायालय उसके अन्वेषण की कार्यवाही आरम्भ करेगा एवं ऐसा करते समय पक्षकारों के परीक्षण के संबंध में एवं अन्य सभी बातों में अभिहित न्यायालय, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन आदेश 37 में यथा अनुध्यात संक्षिप्त प्रक्रिया का अनुसरण करेगा और उक्त संहिता के अधीन किसी बाद की सुनवाई में न्यायालय की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा आपत्ति करने वाले व्यक्ति से यह दर्शाने के लिए साक्ष्य पेश करने की अपेक्षा की जायेगी कि कुर्की के दिनांक को कुर्क की गयी संपत्ति में उनका कोई हित था।

(6) उपधारा (5) के अधीन अन्वेषण के पश्चात अभिहित न्यायालय या तो धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन पारित कुर्की के आदेश को आत्यन्तिक करते हुए या संपत्ति के किसी भाग को कुर्की से निर्मोचन द्वारा परिवर्तित करते हुए या कुर्की के आदेश को रद्द करते हुए एक आदेश पारित करेगा :

परन्तु यह कि अभिहित न्यायालय ऐसे किसी हित को, जिसमें उसका समाधान हो गया हो उपधारा (1) में निर्दिष्ट वित्तीय अधिष्ठान या व्यक्ति का उस संपत्ति में हित है, तब तक कुर्की से विमुक्त नहीं करेगा जब तक इसका भी समाधान न हो जाये कि कुर्की के अधीन बाकी बचने वाली राशि या संपत्ति का मूल्य ऐसे वित्तीय अधिष्ठान के जमाकर्ताओं को प्रतिसंदाय के लिए अपेक्षित मूल्य से कम नहीं होगी।

असद्भावी अन्तरिती
की संपत्ति की
कुर्की

9-(1) जहां धारा 4 में निर्दिष्ट किसी वित्तीय अधिष्ठान या व्यक्ति की आस्तियाँ कुर्की के लिए उपलब्ध उस राशि या मूल्य से कम पायी जाये जो वित्तीय स्थापना द्वारा जमाकर्ताओं को प्रतिसंदाय के लिए अपेक्षित हो और जहाँ शपथ-पत्र या अन्यथा द्वारा अभिहित न्यायालय का यह समाधान हो गया हो कि ऐसा विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि उक्त वित्तीय अधिष्ठान ने प्रतिफल के लिए सदभावना से अन्यथा किसी भी संपत्ति को अंतरित (चाहे इस अधिनियम के आरम्भ होने के बाद या पहले) कर दिया है तो अभिहित न्यायालय, नोटिस द्वारा, ऐसी संपत्ति के किसी अंतरिती से (चाहे उसने संपत्ति उक्त वित्तीय अधिष्ठान से प्रत्यक्षतः प्राप्त किया हो या नहीं)

सूचना में विनिर्दिष्ट तिथि को उपस्थित होकर कारण दर्शाने की अपेक्षा कर सकेगा कि अन्तरिती की सम्पत्ति की उतनी मात्रा जो अन्तरित सम्पत्ति के उचित मूल्य के समतुल्य हो, को क्यों न कुर्क कर लिया जाये।

(2) जहाँ, उक्त अन्तरिती विनिर्दिष्ट दिनांक को उपस्थित नहीं हो और कारण नहीं दर्शाये या जहाँ धारा 8 की उपधारा (5) में उपबन्धित रीति से अन्वेषण के पश्चात अभिहित न्यायालय का यह समाधान हो जाये कि उक्त अन्तरिती को सम्पत्ति का अंतरण सद्भावना और समुचित प्रतिफल के लिए नहीं किया गया था तो अभिहित न्यायालय उक्त अन्तरिती की उतनी सम्पत्ति की, जो अभिहित न्यायालय की राय में अन्तरित सम्पत्ति के उचित मूल्य के समतुल्य हो, कुर्की का आदेश पारित करेगा।

10. किसी वित्तीय अधिष्ठान या व्यक्ति, जिसकी सम्पत्ति इस अधिनियम के अधीन कुर्क की गयी हो या कुर्क की जानी हो, किसी भी समय अभिहित न्यायालय के समक्ष ऐसी कुर्की के बदले प्रतिभूति देने की अनुमति के लिए आवेदन कर सकेगा और जहाँ प्रस्तुत की गयी एवं दी गयी प्रतिभूति, अभिहित न्यायालय की राय में संतोषप्रद एवं पर्याप्त हो तो वह यथास्थिति, कुर्की आदेश को रद्द कर सकता है या कुर्की आदेश को पारित करने से विरत हो सकता है।

कुर्की के बदले प्रतिभूति

11-अभिहित न्यायालय इस अधिनियम के अधीन कुर्क की गयी एवं सक्षम प्राधिकारी में निहित किसी सम्पत्ति के हितबद्ध किसी व्यक्ति के आवेदन पर, सक्षम प्राधिकारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात ऐसा आदेश पारित कर सकता है जिसे वह निम्नलिखित के लिए न्यायसंगत एवं युक्तियुक्त समझे :-

कुर्क की गयी सम्पत्ति का प्रशासन

(क) ऐसी कुर्क की गयी एवं सक्षम प्राधिकारी में निहित सम्पत्ति, जिसमें आवेदक हित होने का दावा करता है, में से ऐसी राशि जो आवेदन एवं उनके परिवार के भरण पोषण और जहाँ अभिहित न्यायालय में धारा 3 के अधीन आवेदक के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संस्थित की गयी हो, वहाँ उसकी अपने बचाव से सम्बन्धित व्यय के लिए, जो युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो, उपबन्ध करने हेतु।

(ख) जहाँ तक व्यवहार्य हो, कुर्की से प्रभावित किसी कारबार के हितों की, और विशिष्टतः ऐसे कारबार के भागीदारों के हितों की रक्षा करने हेतु।

12-सक्षम प्राधिकारी को सम्मिलित करते हुए कोई व्यक्ति, जो यदि अभिहित न्यायालय के आदेश से व्यथित हो, आदेश के दिनांक से साठ दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।

अपील

13-राज्य सरकार अभिहित न्यायालय में मामले के संचालन के प्रयोजनार्थ एक या एक से अधिक अधिवक्ताओं को, जिनका व्यवसाय विशेष लोक अभियोजक के रूप में दस वर्षों से कम का नहीं हो, सम्बन्धित जिला के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के परामर्श से आदेश द्वारा नियुक्त कर सकती है।

विशेष लोक अभियोजक

14. (1) अभिहित न्यायालय, किसी आरोपी को विचारण हेतु उसे सुपुर्द किये बिना अपराध का संज्ञान ले सकती है, और अभिहित न्यायालय आरोपित व्यक्तियों का विचारण करते समय, वारंट मामलों के विचारण के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में विहित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

अपराध के संबंध में अभिहित न्यायालय की प्रक्रिया एवं शक्तियाँ

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्ध जहाँ तक हो सकेगा अभिहित न्यायालय के सक्षम कार्यवाहियों पर लागू होंगे, और उक्त उपबन्धों के प्रयोजनार्थ अभिहित न्यायालय को मजिस्ट्रेट समझा जायेगा।

(3) व्यतिक्रमी वित्तीय अधिष्ठान के प्रबंधन/संचालन हेतु उत्तरदायी किसी भी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत नहीं दी जायेगी।

अधिनियम का
अन्य विधियों पर
अध्यारोही प्रभाव

15-इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबन्धों का, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त न कि उसके अल्पीकरण में, अध्यारोही प्रभाव होगा।

सद्भावना से की
गयी कार्यवाही की
संरक्षा

16-इस अधिनियम के अधीन सद्भावनापूर्वक की गयी या किये जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कोई वाद या अन्य कार्यवाही संस्थित नहीं होगी।

नियम बनाने के
शक्ति

17-इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकती है।

कठिनाइयों को
दूर करने की
शक्ति

18-(1) इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार यथा अवसर उत्पन्न होने पर, आदेश द्वारा वह सब कुछ कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, और कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् इस उपधारा के अधीन कोई भी आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधानमण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

उद्देश्य और कारण

राज्य सरकार के संज्ञान में यह बात लायी गयी है कि राज्य में वित्तीय अधिष्ठानों द्वारा कपटपूर्ण व्यतिक्रम के बहुत से मामले हैं और ऐसे वित्तीय अधिष्ठान अव्यावहारिक और अव्यवहार्य वापसी का वचन देकर धन प्राप्त कर रहे हैं जिसके कारण मध्यम और निर्धन वर्ग के व्यक्ति ऐसे वित्तीय अधिष्ठानों द्वारा ठगे जा रहे हैं। ऐसे अधिकांश मामलों में वित्तीय अधिष्ठान परिपक्वता पर जमा को वापस करने या ब्याज का भुगतान करने या ऐसे जमा के सापेक्ष कोई विशिष्ट सेवा देने में जान-बूझकर विफल हुए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसे जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार को एक विधि बनाने का सुझाव दिया है।

अतएव यह विनिश्चय किया गया है कि जमाकर्ताओं को, जिन्होंने ऐसे वित्तीय अधिष्ठानों में धन जमा किया है, संरक्षण देने के लिए एक विधि बनायी जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक, 2016 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
रंगनाथ पाण्डेय,
प्रमुख सचिव।

No. 857(2)/LXXIX-V-1-16-1(ka)-7-2016

Dated Lucknow, June 8, 2016

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Vittiya Adhishthanon men Jamakarta Hit Sanrakshan Adhiniyam, 2016 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 16 of 2016) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on May 21, 2016.

THE UTTAR PRADESH PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS IN
FINANCIAL ESTABLISHMENTS ACT, 2016

(U.P. Act No. 16 of 2016)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to provide for protecting the interest of depositors in Financial Establishments and for matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Protection of Interest of Depositors in Financial Establishments Act, 2016. Short title, extent and commencement

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the *Gazette*, appoint.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,— Definitions

(a) "Competent Authority" means the Competent Authority appointed under section 5;

(b) "Designated Court" means a Designated Court constituted under section 7;

(c) "Deposit" includes any receipt of money or acceptance of any valuable commodity whether before, on or after the commencement of this Act, by any Financial Establishment returnable after a specified period or otherwise, either in cash or in kind or in the form of a specified service with or without any benefit in the form of interest, bonus, profit or in any other form, but does not include :—

(i) amount raised by way of share capital or by way of debenture, bond or any other instruments covered under the guidelines given and regulations made by the Securities and Exchange Board of India, established under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992;

(ii) any amount contributed as capital by partners of a firm;

(iii) any amount received from a scheduled bank or a co-operative bank or any other banking company as defined in clause (c) of section 5 of the Banking Regulation Act, 1949;

(iv) any amount received from,—

(1) a State Financial corporation ;

(2) any other institution that may be specified by notification issued by the State Government in this behalf;

(v) any amount received in the ordinary course of business by way of security deposit, dealership deposit, earnest money or advance against order for goods or services;

(vi) any amount received from an individual or a firm or an association of individuals not being a body corporate, registered under any enactment relating to money lending which is for the time being in force in the State; and

(vii) any amount received by way of subscriptions in respect of a Chit;

Explanation I—"Chit" has the meaning as assigned to it in clause (b) of section 2 of the Chit Funds Act, 1982 (Act no. 40 of 1982).

Explanation II—Any credit given by a seller to a buyer on the sale of any property (whether movable or immovable) shall not be deemed to be a deposit for the purposes of this clause.

Explanation III—Any amount collected by builders/real estate companies or any person for sale of plot or flat or house or any such arrangement within the State of Uttar Pradesh shall be deemed to be a deposit for the purposes of this clause.

(viii) Amount raised by unlisted companies by way of share capital or debenture/bonds in compliance with provisions of Chapters III and IV of the Companies Act, 2013;

(ix) Deposits raised by companies in compliance with provisions of sections 73, 74, 75 & 76 of the Companies Act, 2013.

(d) "Financial Establishment" means any person accepting deposit under any scheme or arrangement or in any other manner and shall include a company or association or body of individuals, whether incorporated or not but does not include a corporation or a co-operative society owned or controlled by any State Government or the Central Government or banking company as defined under clause (c) of section 5 of the Banking Regulation Act, 1949.

3. Any Financial Establishment, which defaults any repayment of deposit on maturity along with any benefit in the form of interest, bonus, profit or in any other form as promised or fails to render service as assured against the deposit, every person including the promoter, partner, director, manager or any other person or an employee responsible for the management of or conducting of the business or affairs of such Financial Establishment shall, on conviction be punished with imprisonment for a term which may extend to ten years or with fine which may extend to ten lakh rupees or with both.

Explanation:—for the purposes of this section, a Financial Establishment, which commits default in repayment of such deposit with such benefits in the form of interest, bonus, profit or in any other form as promised or fails to render any specified service promised against such deposit, or fails to render any specific service agreed against the deposit with an intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person or commits such defaults due to its inability arising out of impracticable or commercially not viable promises made while accepting such deposit or arising out of deployment of money or assets acquired out of the deposits in such a manner as it involves inherent risk in recovering the same when needed, shall be deemed to have committed a default or failed to render the specific service, fraudulently.

4. (1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force,—

(a) Where upon complaints received from the depositors or otherwise the State Government is satisfied that any Financial Establishment has failed,—

(i) to return the deposit after maturity or on demand by the depositors; or

(ii) to pay interest or other assured benefit; or

(iii) to provide the service promised against such deposit; or

(b) Where the State Government has reason to believe that any Financial Establishment is acting in a calculated manner detrimental to the interest of the depositors with an intention to defraud them and if the State Government is satisfied that such Financial Establishment is not likely to return the deposits or make payment of interest or other benefits assured or to provide the services against which the deposit is received. The State Government may, after recording reasons in writing, issue an order by publishing it in the *Gazette* attaching the money or other property believed to have been acquired by such, Financial Establishment either in its own name or in the name of any other person from and out of the deposits collected by Financial Establishment.

(2) On the publication of the Order under clause (b) of sub-section (1), all the properties and assets of the Financial Establishment shall forthwith vest in the Competent Authority appointed by the State Government, such vesting shall remain vested as such unless the Designated Court orders otherwise.

Fraudulent default
by Financial
Establishment

Attachment of
properties on
default of return of
deposits

(3) The Collector of the District concerned shall be competent to receive the complaints under sub-section (1) and shall forward the same together with his report to the State Government at the earliest and shall send a copy of the complaint also to the concerned Police Superintendent of the district for investigation.

5. (1) The State Government may while issuing the order under sub-section (1) of section 4 appoint any of its officer not below the rank of the Deputy Collector as the Competent Authority to exercise control over the money and the properties attached under section 4.

Appointment of
Competent
Authority

(2) The Competent Authority shall have such other powers as may be necessary for carrying out the purposes of this Act.

(3) The Competent Authority shall, apply within thirty days from the date of the publication of the order referred to in sub-section (1) to the Designated Court, accompanied by one or more affidavits stating the grounds on which the State Government has issued the order referred to in section 4 and the amount of money or other property believed to have been acquired out of the deposits and the details, if any, of persons in whose name such property is believed to have been invested or acquired or any other property attached under section 4, for such further orders as found necessary.

6. (1) Every Financial Establishment which carries on its business as such in the State of Uttar Pradesh on or after the commencement of this Act shall make a report to the Director General, Institutional Finance and forward a copy thereof to the Collector and the Superintendents of Police of the district, mentioning the details about its authority to carry on such business, the location of the Financial Establishment in the State and its main Branch Office, if any, and permanent address of every person responsible for the management of, or conducting of the business or affairs of the Financial Establishment in the State with such particulars as may be prescribed.

Report and
return by
Financial
Establishment

(2) The report referred to in sub-section (1) shall be made by the new Financial Establishments within seven days from the date of start of their business in the State and such Financial Establishment as have been carrying on its business as such prior to the commencement of this Act shall make such report within seven days from the date of commencement of this Act.

(3) Every Financial Establishment shall furnish a quarterly return within one month of the expiry of each quarter of a financial year to the Director General Institutional Finance in respect of its business and financial position, the area of its investment and the location of investments of moneys made by it within and outside the State, if any, and such other particulars as may be prescribed.

(4) Whoever fails to submit report required under sub-section (2) or fails to furnish return under sub-section (3) shall be punishable with fine which may extend to fifty thousand rupees.

(5) The Director General, Institutional Finance shall be responsible for enquiring into the business and financial position, details of investment and other particulars of Financial Establishment and ensure that appropriate action is taken against unreported or clandestine activities of Financial Establishment which are brought to light.

7. (1) For the purposes of this Act the State Government may with the concurrence of the Chief Justice of the Allahabad High Court, by notification, in the *Gazette*, constitute one or more Designated Court in the cadre of the District and Sessions Judge for such area or areas or for such case or class or group of cases, as may be specified in the notification.

Designated Court

(2) No court including the Court constituted under the Provincial Insolvency Act, 1920 other than the Designated Court shall have jurisdiction in respect of any matter to which the provisions of this Act apply.

(3) Any pending case in any other court to which the provisions of this Act apply shall from the date of commencement of this Act, stand transferred to the Designated Court.

8. (1) Upon receipt of an application under section 5, the Designated Court shall issue to the Financial Establishment or to any other person whose property is attached and vested in the Competent Authority by the State Government under section 4, a notice accompanied by the application and affidavits and of the evidence, if any, recorded calling upon the said Establishment and the said person to show cause on or before a date to be specified in the notice, as to why the order of attachment should not be made absolute.

Powers of
Designated Court
regarding
attachment

(2) The Designated Court shall also issue such notice, to all other persons represented to it as having or being likely to claim, any interest or title in the property of the Financial Establishment or the person to whom the notice is issued under sub-section (1), calling upon all such persons to appear on the same date as specified in the notice and make objection if they so desire to the attachment of the property or any portion thereof, on the ground that they have interest in such property or portion thereof.

(3) Any person claiming an interest in the property attached or any portion thereof may, notwithstanding that no notice has been served upon him under this section, make an objection as aforesaid to the Designated Court at any time on or before the specified date before an order is passed under sub-section (4) or sub-section (6).

(4) The Designated Court shall if no cause is shown and no objections are made on or before the specified date, under sub-section (3), forthwith pass an order making the order of attachment absolute, and issue such directions as may be necessary for realization of the assets attached and for the equitable distribution amongst the depositors of the money realized from and out of the property attached.

(5) If cause is shown or any objection is made as aforesaid, the Designated Court shall proceed to investigate the same and in so doing, as regards the examination of the parties and in all other respects, the Designated Court shall, subject to the provisions of this Act follow the summary procedure as contemplated under order 37 of the Code of Civil Procedure, 1908 and exercise all the powers of a court in hearing a suit under the said Code and any person making an objection shall be required to adduce evidence to show that at the date of the attachment he had some interest in the property attached.

(6) After investigation under sub-section (5), the Designated Court shall pass an order of attachment passed under sub-section (1) of section 4 absolute or varying it by releasing a portion of the property from attachment or cancelling the order of attachment :

Provided that the Designated Court shall not release from attachment any interest, which it is satisfied that the Financial Establishment or the person referred to in sub-section (1) has in the property, unless it is also satisfied that there will remain under attachment an amount or property of value not less than the value that is required for re-payment to the depositors of such Financial Establishment.

9. (1) Where the assets available for attachment of a Financial Establishment or other person referred to in section 4 are found to be less than the amount or value which such Financial Establishment is required to repay to the depositors and where the Designated Court is satisfied by affidavit or otherwise that there is reasonable cause for believing that the said Financial Establishment has transferred (whether before or after the commencement of this Act) any of the property otherwise than in good faith for consideration, the Designated Court may, by notice, require any transferee of such property (Whether or not he received the property directly from the said Financial Establishment) to appear on a date to be specified in the notice and show cause why so much of the transferee's property as is equivalent to the proper value of the property transferred should not be attached.

(2) Where the said transferee does not appear and show cause on the specified date, or where after investigation in the manner provided in sub-section (5) of section 8, the Designated Court is satisfied that the transfer of the property to the said transferee was not in good faith or for proper consideration, the Designated Court shall order the attachment of so much of the said transferee's property as is in the opinion of the Designated Court equivalent to the proper value of the property transferred.

10. Any Financial Establishment or person whose property has been or is about to be attached under this Act may, at any time, apply to the Designated Court for permission to give security *in lieu of* such attachment and where the security offered and given is, in the opinion of the Designated Court, satisfactory and sufficient, it may cancel the order of attachment or as the case may be refrain from passing the order of attachment.

11. The Designated Court may, on the application of any person interested in any property attached and vested in the Competent Authority under this Act and after giving the Competent Authority an opportunity of being heard, make such order as the Designated Court considers just and reasonable for,—

Attachment of
property of
malafide
transferees

Security *in lieu of*
attachment

Administration of
property attached

(a) providing from such of the property attached and vested in the Competent Authority as the applicant claims an interest in, such sums as may be reasonably necessary for the maintenance of the applicant and of his family, and for expenses connected with the defense of the applicant where criminal proceedings have been instituted against him in the Designated Court under section 3;

(b) safeguarding so far as may be practicable the interest of any business affected by the attachment and in particular, the interest of any partners in such business.

12. Any person including the Competent Authority, if aggrieved by an order of the Designated Court, may prefer an appeal to the High Court within sixty days from the date of the order.

Appeal

13. The State Government may, by order appoint one or more Advocates of not less than ten years standing as a Special Public Prosecutor in consultation with the District and Session Judge of the concerned District for the purpose of conducting the cases in the Designated Court.

Special Public Prosecutor

14. (1) The Designated Court may take cognizance of the offence without the accused being committed to it for trial and, in trying the accused persons, shall follow the procedure prescribed in the Code of Criminal Procedure, 1973 for the trial of warrant cases by Magistrates.

Procedure and powers of Designated Court regarding offences

(2) The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 shall so far as may be, apply to the proceedings before a Designated Court and for the purposes of the said provisions, a Designated Court shall be deemed to be a Magistrate.

(3) No anticipatory bail shall be granted to any person responsible for managing/operating the defaulting Financial Establishment by the Court.

15. Save as otherwise provided in this Act the provisions of this Act shall have effect in addition to, and not in derogation of, any other law for the time being in force.

Act to override other laws

16. No suit or other proceedings shall lie against the State Government or the Competent Authority or an officer or employee of the State Government for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.

Protection of action taken in good faith

17. The State Government may, by notification in the *Gazette*, make rules to carry out the purposes of this Act.

Power to make rules

18. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act the State Government may, as occasion may arise, by order, do anything, not inconsistent with provisions of this Act, which appears it to be necessary to remove the difficulties:

Power to remove difficulties

Provided that no order shall be made under this sub-section after the period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before each House of the State Legislature.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

It has been brought to the notice of the State Government that there have been numerous cases of fraudulent defaults by Financial Establishments in the State and such Financial Establishments have been receiving money by promising impracticable and unviable returns due to which persons of middle and poor classes are being cheated by such Financial Establishments. In majority of such cases Financial Establishments have intentionally failed to return the deposit on maturity or to pay interest or to render any specified service agreed against such deposits. The Reserve Bank of India has suggested to the State Government to make a law to protect the interests of such depositors.

It has therefore been decided to make a law to provide for protecting the depositors who have deposited their money in such Financial Establishments.

The Uttar Pradesh Protection of Interest of Depositors in Financial Establishments Bill, 2016 is introduced accordingly.

By order,
RANGNATH PANDEY,
Pramukh Sachiv.